

सज्जना बनाम श्योराम वगै०

मु०नं० 05/2020

अ०धा० 53,88 आरटीए

दिनांक -27.01.2020 वादिगण उपस्थित। प्रतिवादीगण 1 व 2 ने पूर्व में इकवाली जबाब दावा पेश कर दिया था। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि ख.नं. 12 रकबा 2.40 है० ख.नं. 159 रकबा 0.05 है०, ख.नं. 454/9 रकबा 0.07 है० व ख.नं. 6 रकबा 2.81 है० ख०न० 68 रकबा 2.25 है० ख०न० 7 रकबा 2.98 है० ख०न० 8 रकबा 1.62 है, ख०न० 9 रकबा 2.62 है। वाके मौजा सूजडोला में स्थित है जिसमें प्रतिवादी नं. 1 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादीगण ने दावे में कथन किया कि अपने पिता प्रतिवादी न० 1 के नाम दर्ज हिस्सा में प्रतिवादी न 1 के बराबर हिस्सा है व वादीगण अपने हिस्से को घोषित करवाने की कानूनी अधिकारी है वाद वर्णित भूमि में वादीयागण का प्रत्येक का प्रतिवादी न० 1 के नाम दर्ज हिस्सा में 1/4, 1/4 हिस्सा जिसे घोषित किया जाकर प्रतिवादी न० 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/3 के स्थान पर वादीयागण व प्रतिवादीगण 1 व 2 प्रत्येक को 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाना न्यायसंगत है। बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात वादीयागण की पैतृक भूमि है जिसमें उनका हक हिस्सा बनता है प्रतिवादी न 1 ने जरिये वकील इकवाली जबाब दावा पेश किया व दावा डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति न होना जाहिर किया। अतः वाद वादीयागण डिक्री किया जाकर विवादित भूमि ख.नं. 12 रकबा 2.40 है० ख.नं. 159 रकबा 0.05 है०, ख.नं. 454/9 रकबा 0.07 है० व ख.नं. 6 रकबा 2.81 है० ख०न० 68 रकबा 2.25 है० ख०न० 7 रकबा 2.98 है० ख०न० 8 रकबा 1.62 है, ख०न० 9 रकबा 2.62 है० वाके मौजा सूजडोला में स्थित है में प्रतिवादी न० 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/3 के स्थान पर वादीया न० 1 व 2 व प्रतिवादी न 1 व 2 प्रत्येक को 1/12, 1/12 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। परचा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम एवं बाद तकमील जाब्ता दाखित दफ्तर हो।

(अभिलाषा)

उपखण्ड अधिकारी

सूरजगढ

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

